न्यायालय विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
<u>सी0बी0आई0, लखनऊ।</u>

उपस्थितः रोहित सिंह, ... एच0जे0एस0
आई0डी0 नं0: यू0पी0 1589

सत्र परीक्षण सं0: 508/2024

UPLK010046282024

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोगी

बनाम

अमित गौतम पुत्र श्यामलाल गौतम निवासी ग्राम माती बिजनौर थाना बिजनौर लखनऊ उत्तर प्रदेश। ....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध सं0: 297/2023

धारा 363, 366 भा0दं0सं0

थाना बिजनौर, जिला लखनऊ

घटना की तिथि	08—12—2023
तहरीर प्रेषित करने की तिथि	08—12—2023
अभियोग पंजीकृत करने की तिथि	09—12—2023
विवेचना प्रारम्भ करने की तिथि	09—12—2023
विवेचना समाप्त करने की तिथि	25—01—2024
न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि	02—02—2024
संज्ञान लेने की तिथि	02—02—2024
कमिट करने की तिथि	07—03—2024
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने की तिथि	23—04—2024
विचारण प्रारम्भ होने की तिथि	08—05—2024
विचारण समाप्त होने की तिथि	13—03—2026
बहस की तिथि	01—07—2026
निर्णय की तिथि	08—07—2026

<u>निर्णय</u>

1—पुलिस थाना बिजनौर जिला लखनऊ द्वारा विवेचनोपरान्त मुकदमा अपराध सं0: 297/2023 धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त अमित गौतम प्रेषित किया गया जहां पर संज्ञान लिये जाने के पश्चात मामले को सत्र विचारणीय पाते हुए दिनांक 07—03—2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अष्टम, कोर्ट संख्या—32, लखनऊ द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जहां से

अन्तरणस्वरूप यह पत्रावली इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुई।

2—संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुरेश कुमार गौतम पुत्र स्व0 भोला गौतम निवासी ग्राम माती थाना बिजनौर, लखनऊ द्वारा दिनांक 08—12—2023 को थाना स्थानीय में इस आशय की तहरीर दी गयी कि ''आज दिनांक 08 दिसम्बर 2023 शमा 6:30 बजे पुत्री छाया उम्र 17 वर्ष लगभग जो अमित गौतम पुत्र श्याम लाल गौतम निवासी ग्राम माती थाना बिजनौर, लखनऊ के साथ जो बरगला कर भगा ले गया है। कई लोगों से पता करने पर उपरोक्त बात पता चली है, जो घर पर किश्त जमा करने के पैसे भी लेकर व कुछ जेवरात आदि लेकर चली गयी है, जो अमित प्रार्थी की पुत्री को लेकर भगा है उसका मोबाइल नं0 7390039590 है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त के विषय पर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3—वादी मुकदमा सुरेश कुमार गौतम की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना बिजनौर, जिला लखनऊ में दिनांक 09—12—2023 को समय 15:04 बजे अभियुक्त अमित गौतम के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0: 297/2023 अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0दं0सं0 पंजीकृत हुआ एवं विवेचना प्रचलित हुई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचक ने गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अमित गौतम के विरूद्ध उर्पयुक्त अपराध में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4—विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अष्ठम, कोर्ट संख्या—32, लखनऊ द्वारा मामले को सत्र विचारण पाते हुये दिनांक 07—03—2024 को अभियुक्त अमित गौतम की पत्रावली सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी।

5—दिनांक 23—04—2024 को तत्कालीन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या—13, लखनऊ द्वारा अभियुक्त अमित गौतम के विरूद्ध धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्त द्वारा इन्कार किया गया एवं परीक्षण की याचना की गयी।

6—अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी0डब्लू0 1 लगायत पी0डब्लू0 6 को परीक्षित कराया गया है जिनका विवरण निम्नवत है—

क0 सं0	**साक्षीगण का नाम**	**साक्षी सं0**	**कथन दिनांक**	**अंकित प्रदर्श**
1	सुरेश कुमार गौतम वादी मुकदमा	पी0डब्लू0 1	19—10—2024, 01—05—2025	प्रदर्श क—1
2	महिला कां0 प्रिया	पी0डब्लू0 2	15—05—2025	प्रदर्श क—2 एवं प्रदर्श क—3
3	छाया गौतम	पी0डब्लू0 3	19—06—2025, 18—08—2025	
4	पूनम त्रिपाठी	पी0डब्लू0 4	28—08—2025	प्रदर्श क—3 एवं

				प्रदर्श क–4
5	डा0 पावनी सिंह	पी0डब्लू0 5	18–10–2025	प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7,
6	उपनिरीक्षक सन्दीप कुमार	पी0डब्लू0 6	18–02–2026	प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11

7–अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिये अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिनका विवरण निम्नवत हैं–

क0सं0	**साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**	**प्रदर्श**
1	पी0डब्लू0 1	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1
2	पी0डब्लू0 2	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–2
3	पी0डब्लू0 2	मुकदमा कायमी	प्रदर्श क–3
4	पी0डब्लू0 3	पूर्व माध्यमिक विद्यलाय माती सरोजिनीनगर, लखनऊ का मूल एस0आर0 रजिस्टर की छायाप्रति	प्रदर्श क–3
5	पी0डब्लू0 3	पीड़िता छाया का पूर्व माध्यमिक विद्यलाय माती सरोजिनीनगर, लखनऊ के प्रधाना अध्यापक द्वारा निर्गत जन्म तिथि प्रमाण पत्र	प्रदर्श क–4
6	पी0डब्लू0 5	पीड़िता छाया का मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क–5
7	पी0डब्लू0 5	पीड़िता छाया का रिफर रिपोर्ट	प्रदर्श क–6
8	पी0डब्लू0 5	पीड़िता छाया का सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट	प्रदर्श क–7
9	पी0डब्लू0 6	आरोप पत्र	प्रदर्श क–8
10	पी0डब्लू0 6	घटना स्थल की नक्शा नजरी	प्रदर्श क–9
11	पी0डब्लू0 6	फर्द बरामदगी अपहृता छाया	प्रदर्श क–10
12	पी0डब्लू0 6	अभियुक्त अमित गौतम का गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–11

8–अभियुक्त अमित गौतम का कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि साक्षियों द्वारा गलत बयान दिया गया है। उसके विरूद्ध मुकदमा गलत फहमी में चला है एवं उसे झूठा फंसाया गया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

9–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 सुरेश कुमार गौतम के साक्ष्य में यह आया है कि घटना दिनांक 08–12–2023 को समय लगभग शाम 6:30 बजे की है। वह राज मिस्त्री का काम करता है। घटना वाले दिन उसके मझले भाई के यहॉ लड़की की शादी का वैवाहिक कार्यक्रम था उसमें वह लोग वहॉ चले गये थे। उसकी पुत्री छाया घर पर थी और घर पर छोटी बच्ची भी थी। वह लोग जब वापस घर पर पहुंचे तो उसकी पुत्री छाया जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी वह घर पर नहीं मिली। छोटी बच्ची से पूछा तथा आस पास गांव में पता किया तो पता चला कि उसकी नाबालिग पुत्री छाया को

अमित गौतम बहला फुसला कर भगा ले गया है। यह बात उन लोगों को जहॉ पर अमित के बहन बहनोई रहते हैं, वहीं उसके रहने वाले रिश्तेदार से पता चला। उसकी पुत्री छाया घर से गाड़ी की किश्त जमा करने वाले रखे पैसे तथा कुछ जेवरात लेकर चली गयी है। उसकी पुत्री छाया को जो भगा कर ले गया है उसका मोबाइल नंबर पहले याद था परन्तु इस समय याद नहीं है। इस घटना की एफ0आई0आर0 उसने लिखित प्रार्थना पत्र देकर थाना बिजनौर में करायी थी। पत्रावली में शामिल कागज सं0 अ–5/4 तहरीर को देख कर साक्षी ने कहा कि ये वही प्रार्थना पत्र है जो गॉव में किसी व्यक्ति से लिखवा कर बिजनौर थाने में देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उस व्यक्ति ने जो उसने बोला था वहीं लिख दिया था और उसे पढ़ कर सुना दिया था। तब उसने अपने हस्ताक्षर बना कर थाना बिजनौर में जाकर दिया था। इस पर उसके हस्ताक्षर बने हुये हैं जिसकी वह पुष्टि करता है। उस पर प्रदर्श क–1 अंकित किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसकी पुत्री छाया को पुलिस ने बरामद किया था तथा उसका पुलिस ने डाक्टरी मुआयना भी कराया था तथा न्यायालय में उसकी पुत्री छाया का मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान भी कराया था। हाजिर अदालत मुल्जिम अमित गौतम को देख कर साक्षी ने कहा कि ये वही लड़का है जो उसकी लाबालिग पुत्री छाया को बहला फुसला कर भगा ले गया था। उसकी पुत्री छाया कक्षा 6 या 7 तक पढ़ी है। वह गॉव में ही माध्यमिक विद्यालय में पढ़ी है।

10–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 2 महिला कां0 प्रिया के साक्ष्य में यह आया है कि वह दिनांक 09–12–2023 को वह थाना बिजनौर लखनऊ में कार्यालय में कार्यलेख पर तैनात थी। उसी दिन आगन्तुक सुरेश कुमार गौतम पुत्र स्व0 भोला गौतम उपस्थित थाना आये एक किता हिन्दी हस्तलिखित प्रार्थना पत्र बदस्खती खुद बताते हुये बावत अमित गौतम पुत्र श्याम लाल गौतम निवासी ग्राम माती थाना बिजनौर द्वारा प्रार्थी की पुत्री छाया उम्र 17 वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले जाने सम्बन्धी दाखिल किया। उसके द्वारा अतिरिक्त निरीक्षक द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके द्वारा मुकदमा अपराध सं0ः 297/2023 धारा 363, 366 भा0दं0सं0 घटना दिनांक 08–12–2023 समय 6:30 बजे बनाम अमित गौतम पुत्र श्याम लाल गौतम के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमे की कायमी तहरीर के आधार पर अक्षरशः कम्प्यूटर पर अंकित किया गया तथा चिक एफ0आई0आर0 उसके द्वारा कम्प्यूटर पर तहरीर के आधार पर अक्षरशः अंकित की गयी। चिक एफ0आई0आर0 शामिल पत्रावली कागज सं0 अ–5/1 लगायत अ–5/3 है जो उसके द्वारा कम्प्यूटर पर अंकित किया गया था, जिसकी वह पुष्टि करती है। उस पर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। कायमी शामिल पत्रावली कागज सं0 अ–13/11 जी0डी0 सं0 047 दिनांक 09–12–2023 समय 15:04 बजे है जिसे उसके द्वारा कम्प्यूटर पर अंकित किया गया है, जिसकी वह पुष्टि करती है। उस

पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

11–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 3 छाया गौतम के साक्ष्य में यह आया है कि इस समय वह कक्षा 8 पास है और घर पर ही रहती है। अमित गौतम को वह जानती है। अमित गौतम उसके घर के पीछे रहते हैं उनका अपना मकान है। अमित को वह 2–3 साल से जानती है और फोन पर बातचीत हुआ करती थी और मिलते भी थे। घ टना दिनांक 08–12–2023 की है समय शाम 6 बजे की है। अमित ने उससे शादी करने के लिये कहा और इसी बात पर बहला फुसला कर ले गया। उसे लेकर अपनी बहन मोनी निवासी ग्राम भदरसा ले गया था। वहॉ पर कमरा लेकर उसे रखा था, जो उसने बहलाया था इसीलिये वह चली गयी थी। उसे उसी दिन मन्दिर पर ले जाकर मांग पर सिन्दूर भी लगाया था। पुलिस ने उसे दूसरे दिन दिनांक 09–12–2023 को स्कूटर इण्डिया के पास से पकड़ा था। अमित साथ में था लेकिन भाग गया था, पुलिस ने उसे पकड़ा था। पुलिस ने उसके बयान भी लिये थे, उसने डर में बयान दिया था। उसने अभियुक्त के डर के बयान दिया था, उसकी डाक्टरी हुई थी। उसके मजिस्ट्रेट साहब के यहॉ बयान हुये थे। साक्षी ने हाजिर अदालत अमित गौतम अभियुक्त को देख कर शिनाख्त की और कहा कि यही अमित गौतम है जो उसने मजिस्ट्रेट साहब के यहॉ बयान दिये थे वह भी अभियुक्त के डर के कारण दिये थे। धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान का लिफाफा न्यायालय में उपलब्ध नहीं है जिसमें पत्रावली में जे0एम0 द्वितीय के यहॉ से रिपोर्ट भी पत्रावली में उपलब्ध है और पाक्सो से भी रिपोर्ट उपलब्ध है। रिपोर्ट में कहा गया कि धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान इन न्यायालयों में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध विवेचक द्वारा धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अवलोकन को पढ़ कर साक्षी को सुनाया गया। साक्षी ने कहा कि यह बयान उसने अभियुक्त के दबाव में दिया था।

12–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 4 पूनम त्रिपाठी के साक्ष्य में आया है कि आज वह न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने पर न्यायालय में उपस्थित है। पीड़िता छाया की जन्म तिथि के सम्बन्ध में वह अपने स्कूल का मूल एस0आर0 रजिस्टर व स्वतः स्वप्रमाणित एक छायाप्रति न्यायालय में संलग्न पत्रावली कर रही है। मूल एस0आर0 रजिस्टर में सीरियल नम्बर 2587 पर छात्रा साक्षी की जन्म तिथि दिनांक 15–01–2007 अंकित है। मॉ का नाम नन्कही है पिता का नाम सुरेश है। ग्राम व पोस्ट माती, लखनऊ है। छात्रा उनके स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ी है। मूल एस0आर0 रजिस्टर से मिलान कर छाया प्रति प्रपत्र पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया। संलग्नक पत्रावली में विवेचक द्वारा जो प्रमाण पत्र स्कूल का संलग्नक किया गया है वह उसके हस्ताक्षर व हस्तलेख में है। उस पर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया।

13–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 5 डा0 पावनी सिंह वर्तमान तैनाती वीरंगना अवन्ती बाई हास्पिटल, लखनऊ के साक्ष्य में आया है कि दिनांक

10–12–2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनीनगर में बतौर चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थी। उसी दिन महिला आरक्षी चिंकी थाना बिजनौर द्वारा पीड़िता छाया पुत्री सुरेश निवासिनी ग्राम माती थाना बिजनौर को लाया गया। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसकी उम्र 18 वर्ष है। मेडिकल रिपोर्ट उसी दिन समय 1:23 पी0एम0 पर तैयार की गयी जिसमें पीड़िता को ताजी चोट बाहरी नहीं थी। पीड़िता होशों हवास में थी। उसके द्वारा पीड़िता का निशानी अंगूठा रिपोर्ट पर लगवाया गया था तथा पीड़िता द्वारा आन्तरिक परीक्षण की जांच के लिये मना किया था और उसने अपनी उम्र 18 वर्ष 3 महीना लिख कर हस्ताक्षर किय थे। इसके अलावा मेडिकल जांच के लिये पीड़िता के पैरेन्टस चाह रहे थे। पीड़िता ने अपनी उम्र 18 वर्ष से अधिक बतायी थी इसलिये उसके द्वारा उसे बलरामपुर हास्पिटल उम्र के सम्बन्ध में रिफर किया गया। इसके उपरान्त पीड़िता छाया गौतम का उम्र के सम्बन्ध में दिनाक 20–12–2023 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात उसके द्वारा दिनांक 12–01–2024 को पीड़िता छाया गौतम पुत्री सुरेश कुमार जिसकी रिपोर्ट के अनुसार आयु लगभग 22 वर्ष निर्धारित की गयी थी। उसी रिपोर्ट के अवलोकन के अनुसार उसके द्वारा पीड़िता की 22 वर्ष उम्र लगभग अंकित कर सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट तैयार की गयी थी। पीड़िता की रिपोर्ट दिनांक 10–12–2023 कागज सं0 अ–12/1, पीड़िता की रिफर रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज सं0 अ–12/2 तथा पीड़िता की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट कागज सं0 अ–12/5 शामिल पत्रावली है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि कती है। मेडिकल रिपोर्टकागज सं0 अ–12/1 पर प्रदर्श क–5, रिफर रिपोर्ट कागज सं0 अ–12/2 पर प्रदर्श क–6 तथा सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट कागज सं0 अ–12/5 पर प्रदर्श क–7 अंकित किया गया। दरोगा जी ने उनका बयान लिया था।

14–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 6 संदीप कुमार उपनिरीक्षक वर्तमान तैनाती थाना नगराम लखनऊ के साक्ष्य में यह आया है कि मुकदमा अपराध सं0: 297/2023 अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0दं0सं0 उ0प्र0 राज्य बनाम अमित गौतम की विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। तत्समय थाना बिजनौर में बतौर एस0आई0 के पद पर कार्यरत था। उक्त मुकदमे में उसके द्वारा सम्पूर्ण विवेचना सम्पादित करते हुये आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। उसके द्वारा किता किये गये पर्चो में नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ0आई0आर0 लेखक व पीड़िता के उम्र के सम्बन्ध में पूर्व माध्यमिक विद्यालय माती से उम्र के सम्बन्धमें अंक पत्र प्राप्त किया जिमके अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 15–01–2007 थी। वह उक्त मुकदमे में वादी मुकदमा का बयान व उसके निशादेही पर मौका मुआयना कर नक्शा नजरी तैयार किया गया था। वह अपहृता की बरामदगी स्कूटर इण्डिया से की गयी थी। वह अपहृता का बयान अंकित किया गया था। तत्पश्चात अपहृता छाया गौतम का धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान व उसका अवलोकन किया गया था। उक्त प्रकरण में धारा 376 भा0दं0सं0 व

3/4 पाक्सो एक्ट का होना नहीं पाया गया था। इसीलिये दोनों धाराओं का विलाप किया गया था। नामित अभियुक्त अमित गौतम की गिरफ्तारी व उसका बयान उसके द्वारा अंकित किया गया था। पीड़िता के मना करने की वजह से उसका मेडिकल नहीं किया गया था। उक्त प्रकरण में डा0 का बयान अंकित किया गया था व गिरफ्तारी, गवाहों का बयान अंकित कर पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अमित गौतम के विरूद्ध धारा 363, 366 भा0 दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न कागज सं0 अ–4/4 है उस पर प्रदर्श क–8 अंकित किया गया। नक्शा नजरी पत्रावली में संलग्न कागज सं0 अ–6/1 है उस पर प्रदर्श क–9 अंकित किया गया। फर्द अपहृता पत्रावली में संलग्न कागज सं0 अ–7/1 है उस पर प्रदर्श क–10 अंकित किया गया। अभियुक्त अमित गौतम के गिरफ्तारी प्रपत्र पत्रावली में संलग्न कागज सं0 अ–10/1 है उस पर प्रदर्श क–11 अंकित किया गया।

प्रतिरक्षा साक्ष्य के प्रक्रम पर अभियुक्त की ओर से कोई भी मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

15–मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

16–अभियुक्त द्वारा बचाव में कोई सफाई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

17–न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

18–उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के आलोक में न्यायालय को साक्ष्य का अवलोकन कर अभियुक्त की दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति पर विचार करना है। धारा 354 (1)2ख द0प्र0सं0 के अधीन सुविधा की दृष्टि से मामले के तथ्यों में इस प्रकरण में निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु उत्पन्न हो रहे हैंः–

1–क्या कथित घटना के समय दिनांक 08–12–2023 को पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी? अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर घटना के समय पीड़िता की वास्तविक आयु क्या थी?

2–क्या अभियुक्त द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 363 में परिभाषित विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यपहरण का अपराध पीड़िता के साथ कारित किया गया है?

3–क्या अभियुक्तगण द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 366 में परिभाषित विवाह आदि को विवश करने अथवा अभियुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश करने का अपराध पीड़िता के साथ कारित किया गया है?

4–क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

5—क्या अभियुक्त अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं?

19—उपरोक्त अवधारणीय प्रश्नों के विनिश्चय हेतु सर्वप्रथम अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन उभयपक्षों द्वारा की गयी मौखिक बहस को ध्यान में रखते हुये किया जाना आवश्यक है।

20—अभियोजन की ओर से मौखिक बहस के दौरान कथन किया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष के मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन का मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होता है। साक्षी पी0डब्लू0 4 पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपने स्कूल रिकार्ड में अंकित जन्म तिथि को स्वीकार किया गया तथा स्वयं पीड़िता द्वारा घटना के समय अपनी उम्र 17 वर्ष होने का कथन किया गया तथा साथ ही अभियुक्त के बहलाने एवं फुसलाने पर उसके साथ जाने का कथन किया है। वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 सुरेश कुमार ने द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है तथा घटना के समय अपनी पुत्री की आयु 17 वर्ष होना बताया है। यह कथन किया गया कि अभियुक्त अमित गौतम बिना पीड़िता के अभिभावकों की मर्जी से पीड़िता को उनकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से ले गया गया था जैसा कि धारा 361 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है एवं धारा 363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त अमित गौतम द्वारा पीड़िता को अपने साथ ले जाने का उद्देश्य पीड़िता के साथ विवाह करने का था। मामले के अन्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

21—बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले की मुख्य पीड़िता छाया द्वारा अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ जाने का कथन किया गया है तथा मेडिकल परीक्षण में पीड़िता की आयु लगभग 22 वर्ष आयी है। कथन किया गया चूँकि पीड़िता अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गयी थी अतः ऐसी दशा में धारा 363, 366 भा0दं0सं0 का अपराध सृजित नहीं होता है। अतः उक्त आधारों पर अभियुक्त की दोषमुक्ति की याचना की गयी।

<u>22—निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0 1</u>

अवधार्य बिन्दु सं0 1 इस आशय का विरचित किया गया कि क्या कथित घटना के समय दिनांक 08—12—2023 को पीड़िता की आयु 18 वर्ष कम थी? अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर घटना के समय पीड़िता की वास्तविक आयु क्या थी?

23—प्रश्नगत मामले में साक्षी पी0डब्लू0 1 रमेश कुमार की मुख्य परीक्षा दिनांक 19—10—2024 को अंकित हुई जिसमें साक्षी द्वारा घटना दिनांक 08—12—2023 को होने का कथन किया गया है। घटना के समय अपनी पुत्री छाया की उम्र 17 वर्ष बतायी

गयी है। उसकी पुत्री छाया द्वारा कक्षा 8 तक की पढ़ाई किया जाना साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय माती, लखनऊ प्राप्त किया गया जिसमें उसकी जन्म तिथि 15–01–2007 अंकित होना पाया गया। उक्त के आधार पर घटना के दिनांक 08–12–2023 को पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष 10 माह तथा 25 दिन थी। उक्त जन्म प्रमाण पत्र को साक्षी द्वारा न्यायालय में प्रदर्श क–3 के रूप में प्रमाणित किया है। साक्षी की उम्र के सम्बन्ध में बयान के उक्त अंश पर बचाव पक्ष द्वारा न तो कोई प्रति परीक्षा की गयी और न ही कोई विपरीत सुझाव दिया गया जिसका अर्थ यह है कि घटना के समय छाया की उम्र लगभग 17 वर्ष होना बचाव पक्ष को स्वीकार है। इसी प्रकार से साक्षी पी0डब्लू0 3 जो कि पीड़िता है के द्वारा अपने बयानों में घटना के समय पीड़िता की आयु 17 वर्ष होना बताया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में साक्षी पी0डब्लू0 4 पूनम त्रिपाठी न्यायालय में उपस्थित होकर छात्रा छाया पुत्री रमेश कुमार की जन्म प्रमाण पत्र को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 15–01–2007 अंकित है। साक्षी पी0डब्लू0 1 व पी0डब्लू0 4 के बयानों को पीड़िता के बयानों तथा विवेचक द्वारा संकलित उसके पूर्व माध्यमिक विद्यालय माती, लखनऊ के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होना साबित होता है। इस सम्बन्ध में मामले के तथ्यों में अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य को समेकित रूप से पढ़े जाने से स्पष्ट है कि घटना के समय पीड़िता आयु लगभग 17 वर्ष होना साबित है अर्थात पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की थी। अवधार्य बिन्दु सं0 1 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

24–निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0 2 एवं 3

अवधार्य बिन्दु सं0 2 इस आशय का विरचित किया गया कि क्या अभियुक्त द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 363 में परिभाषित विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यपहरण का अपराध पीड़िता के साथ कारित किया गया है? **तथा** अवधार्य बिन्दु सं0 3 इस आशय का विरचित किया गया कि क्या अभियुक्तगण द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 366 में परिभाषित विवाह आदि को विवश करने अथवा अभियुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश करने का अपराध पीड़िता के साथ कारित किया गया है?

उक्त दोनों अवधार्य बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा दोनों ही अवधार्य बिन्दुओं का निस्तारण अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को समेकित रूप से एक साथ पढ़ कर किया जा रहा है।

25–अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 सुरेश कुमार गौतम ने अपने बयान में घटना दिनांक 08–12–2023 को समय लगभग शाम 6:30 बजे की है। घटना वाले दिन उसके मझले भाई के यहॉ लड़की की शादी का वैवाहिक कार्यक्रम था जिसमें सम्मिलित होने के लिये वे लोग वहॉ चले गये थे। घटना वाले दिन उसकी पुत्री छाया और छोटी बच्ची

घर पर थी। जब सभी लोग वापस घर पर पहुंचे तो उसकी पुत्री छाया जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी वह घर पर नहीं मिली तब छोटी बच्ची से पूछा तथा आस पास गांव में पता किया तो ज्ञात हुआ कि उसकी नाबालिग पुत्री छाया को अमित गौतम बहला फुसला कर भगा ले गया है। यह बात अमित के बहन बहनोई जहॉ रहते हैं, वहीं उसके रहने वाले रिश्तेदार से पता चला। उसकी पुत्री छाया घर में रखे पैसे तथा कुछ जेवरात लेकर चली गयी है। उक्त घटना की एफ0आई0आर0 उसने लिखित प्रार्थना पत्र देकर थाना बिजनौर में पंजीकृत करायी थी। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसकी पुत्री छाया को पुलिस ने बरामद किया था तथा उसका पुलिस ने डाक्टरी मुआयना भी कराया था तथा न्यायालय में उसकी पुत्री छाया का मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान भी कराया था। हाजिर अदालत मुल्जिम अमित गौतम को देख कर साक्षी ने कहा कि यह वही लड़का है जो उसकी लाबालिग पुत्री छाया को बहला फुसला कर भगा ले गया था। उसकी पुत्री छाया गॉव के ही माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 6 या 7 तक पढ़ी है।

26—अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 3 छाया गौतम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस समय वह कक्षा 8 पास है और घर पर ही रहती है तथा अमित गौतम को वह जानती है। अमित गौतम उसके घर के पीछे रहता है उसका अपना मकान है। अमित को वह 2—3 साल से जानती है और फोन पर बातचीत हुआ करती थी और मिलते भी थे। घटना दिनांक 08—12—2023 को समय शाम लगभग 6 बजे की है। अमित ने उससे शादी करने के लिये कहा और इसी बात पर बहला फुसला कर ले गया। उसे लेकर अपनी बहन मोनी निवासी ग्राम भदरसा ले गया था और वहॉ पर कमरा लेकर उसे रखा था। उसे उसी दिन मन्दिर पर ले जाकर मांग में सिन्दूर भी लगाया था। पुलिस ने उसे दूसरे दिन दिनांक 09—12—2023 को स्कूटर इण्डिया के पास से पकड़ा लिया था। अमित साथ में था लेकिन वह भाग गया था, पुलिस ने उसे पकड़ा था। पुलिस ने उसके बयान भी लिये थे उसने अभियुक्त के डर के बयान दिया था और उसकी डाक्टरी हुई थी। मजिस्ट्रेट साहब के यहॉ उसका बयान हुआ था। साक्षी ने हाजिर अदालत अमित गौतम अभियुक्त को देख कर शिनाख्त किया और कहा कि यही अमित गौतम है। मजिस्ट्रेट साहब के यहॉ उसने जो बयान दिये थे वह अभियुक्त के डर के कारण दिये थे। पत्रावली पर उपलब्ध विवेचक द्वारा धारा 164 दं0 प्र0सं0 के बयान अवलोकन को पढ़ कर साक्षी को सुनाया गया। साक्षी ने कहा कि यह बयान उसने अभियुक्त के दबाव में दिया था।

27—अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 3 ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वह कक्षा 8 तक पढ़ी है और उसके बाद उसने कोई पढ़ाई नहीं किया। वह अमित गौतम को जानती है उसका परिवार भी अमित गौतम को जानता है। वह अमित से प्यार करती थी और अमित से वह शादी करना चाहती थी। अमित से शादी करने के लिये वे

दोनों परिवार को बिना बताये चले गये थे। उसकी उम्र वर्तमान समय में लगभग 18 साल है, घटना दिनांक 08–12–2023 की समय करीब 6 बजे शाम की है। उसके पापा और अमित के पापा एक दूसरे को जानते व पहचानते थे। उसे नहीं मालुम कि उसके पाता और अमित के पापा के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा हुआ हो। यह कहना सही है कि अकित उसे शादी के लिये भगा कर ले गये थे।

28—पीड़िता छाया गौतम द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में पीड़ित द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 08–12–2023 को वह अमित गौतम के साथ शाम 6 बजे घर से गयी। भदरसा के मन्दिर में उन लोगों ने शादी किया। शादी के बाद भदरसा में कमरा लिया वहीं रूके। फिर अपने आप घर वालों के बुलाने पर आ गये, वह अपनी मर्जी से गयी थी। आधार कार्ड के हिसाब से वह 18 वर्ष की हो गयी है। अमित गौतम और वह 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं तथा साथ रहना चाहते है।

29—प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि पीड़िता निर्विवादित रूप से घटना के समय 17 वर्ष के आस पास अबोध बालिका थी जो कि सहमति देने के लिये विधिक रूप से सक्षम नहीं थी जिसके कारण अभियुक्त द्वारा पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से लेकर जाने का अपराध कारित किया गया एवं उक्त कृत्य पीड़िता के साथ विवाह करने के उद्देश्य से था, जैसा कि पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये अपने सशपथ बयानों एवं धारा 161 दं0प्र0सं0 व 164 दं0प्र0सं0 के बयानें के आधार पर स्पष्ट होता है।

30—बचाव पक्ष की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त अमित गौतम अपनी मर्जी से पीड़िता को नहीं ले गया था वरन पीड़िता अमित गौतम से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जिस कारण पीड़िता स्वयं दबाव डाल कर अभियुक्त अमित गौतम के साथ भाग गयी। भदरसा के मन्दिर में दोनों जाकर शादी कर लिया और शादी के बाद भदरसा में कमरा लेकर वहीं रहने लगे। अभियुक्त अमित गौतम पीड़िता ने पीड़िता छाया गौतम के कहने पर ही उसको लेकर भाग गया था,
अतः ऐसी दशा में धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत कोई मामला नहीं बनता है।

प्रश्नगत मामले में सर्व प्रथम धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

धारा 363 भा0दं0सं0—व्यपहरण के लिये दण्ड का प्रावधान करती है, परंतु व्यपहरण को धारा 359 में परिभाषित किया गया है।

धारा 359 व्यपहरण—व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यवपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण।

361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण—जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो,

अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित व्यक्ति को, ऐस अप्राप्तवय या विकृतचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''विधिपूर्ण संरक्षक'' शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

363. व्यपहरण के लिये दण्ड—जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जितसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

इस प्रकार से धारा 359 भा0दं0सं0 एवं धारा 361 भा0दं0सं0 को समेकित रूप से पढ़े जाने पर यह स्पष्ट है कि 18 वर्ष से कम आयु की नारी को ऐसे अप्राप्तवय व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना ले जाया जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, तो वह कृत्य व्यपहरण की श्रेणी में आयेगा और धारा 363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

31—अधिनियम में दिये गये उक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि 18 वर्ष से कम आयु की अबोध बालिका का विधिपूर्ण संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना ले जाने से ही उक्त अपराध का सृजन हो जाता है तथा अल्पव्यस्क बालिका विशेष रूप से 13—14 वर्ष की आयु की दशा में, अल्पव्यस्क की सहमति का कोई प्रभाव नहीं होगा।

धारा 363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध के सृजन के लिये मुख्य रूप से 2 आवश्यक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिये—: **1—**बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिये जो कि वर्तमान मामले में निर्विवादित रूप से होना साबित होता है तथा घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष थी।

2—धारा 363 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध सृजन करने हेतु दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि अव्यस्क बालिका को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बिना उसकी सहमति से ले जाया गया हो। यह आवश्यक तत्व भी वर्तमान मामले में साक्ष्यों के आधार पर निर्विवादित रूप से साबित होता है।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समेकित विश्लेषण से यह तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होता है कि साक्षी पी0डब्लू0 1 सुरेश कुमार वादी मुकदमा जो पीड़िता का पिता एवं उसका विधिपूर्ण संरक्षक है, की जानकारी एवं सहमति के बिना अभियुक्त अमित गौतम 17 वर्षीय पीड़िता को अपने साथ भदरसा ले गया था जिसके आधार पर धारा 363 भा0दं0सं0 में परिभाषित दोनों आवश्यक तत्वों की पूर्ति निर्विवादित रूप से

होती है।

32—प्रश्नगत मामले में अभियुक्त अमित गौतम की ओर से यह तर्क किया गया है कि पीड़िता अमित गौतम से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। ऐसी दशा में कोई आपराधिक दुराशय न होने के कारण किसी अपराध का सृजन नहीं होता है। इस तर्क के सम्बन्ध में भी साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

33—प्रश्नगत मामले में साक्षी पी0डब्लू0 1 एवं साक्षी पी0डब्लू0 3 अभियोजन की ओर से पेश किये गये तथ्य के दोनों मुख्य साक्षी हैं, जिनके अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है। उक्त साक्षियों द्वारा अभियुक्त अमित गौतम के द्वारा शादी करने के आशय से पीड़िता को भगा कर ले जाने का कथन किया गया है जिससे धारा 363 भा0दं0सं0 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो रही थी, परन्तु प्रश्नगत मामले में न्यायसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों को समेकित रूप से पढ़ते समय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

34—इस सम्बन्ध में घटना के बाद जब पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद कर लिया गया एवं पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 एवं 164 दं0प्र0सं0 दर्ज किया गया, उक्त बयान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि पीड़िता के द्वारा धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानों को अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान साबित किया गया है तथा मुख्य परीक्षा के दौरान भी अपने बयानों में लगभग वही कथन किये गये हैं, जिनके सम्बन्ध में कोई प्रतिपरीक्षा अथवा विपरीत सुझाव बचाव पक्ष की ओर से नहीं किये गये हैं, अतः उक्त कथन बचाव पक्ष को स्वीकार होना माना जायेगा। उक्त बयानों में पीड़ित द्वारा यह कथन किया गया है कि वह 3 साल से अमित गौतम से प्रेम करती थी। अमित गौतम और वह बाहर मिलते भी थे और फोन पर बातें भी करते थे। उक्त बयान पीड़िता द्वारा जब दिया गया उस समय उसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी। अर्थात अभियुक्त अमित गौतम के साथ पीड़िता का अफेयर स्वयं पीड़िता के द्वारा 15 वर्ष की आयु से होना बताया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सम्भवतः उक्त अफेयर की जानकारी मां—बाप को हो सकता था, के परिणामस्वरूप पीड़िता अभियुक्त अमित गौतम पर दबाव डाल कर उसके साथ भदरसा चली गयी। उक्त आधार पर यद्यपि पीड़िता की सहमति अभियुक्त के साथ मानी जा सकती है, परन्तु पीड़िता के अभिभावकों की इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी तथा साथ ही मामले के तथ्यों में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त अमित गौतम द्वारा पीड़िता को अन्यत्र उसके विधिपूर्ण संरक्षकों से अलग एवं उनकी जानकारी के बिना ले जाने के सम्बन्ध में कोई दुराशय नहीं था तथा पीड़िता को ले जाना विवाह करने के उद्देश्य से ही था, जैसा कि पीड़िता द्वारा अपने बयानों में बताया गया है। मामले के तथ्यों में धारा 363, 366 भा0दं0सं0 के आवश्यक तत्वों की

पूर्ति होने के कारण अभियुक्त अकित गौतम के विरूद्ध धारा 363, 366 भा0दं0सं0 का अपराध निर्विवादित रूप से साबित होता है। अवधार्य बिन्दु सं0 2 एवं अभियुक्त अमित गौतम के विरूद्ध निस्तारित किये जाते हैं।

<u>35—निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0 4</u>

अवधार्य बिन्दु सं0 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथानक अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे साबित होते हैं?

अभियोजन कथानक के पक्ष में साक्षी पी0डब्लू0 3 छाया को बहला फुसला कर उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण करके उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह या अयुक्त सम्भोग करने के आशय से भदरसा भगा ले जाने एवं भदरसा में कमरा लेकर रहना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विश्वास किये जाने योग्य है। अवधार्य बिन्दु सं0 4 एवं अभियुक्त अमित गौतम के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

<u>36—निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0 5</u>

अवधार्य बिन्दु सं0 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त अमित गौतम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं?

37—भगवान जगन्नाथ मरकड़ तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2016 (97) एस0सी0सी0 410 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि किसी आपराधिक मामले में सबूत का भार हमेशा अभियोजन पर रहता है तथा अभियुक्त को निर्दोष उपधारित किया जाता है, जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाये। युक्तियुक्त सन्देह से तत्पर्य ऐसे सन्देह से है जिसे सामान्य प्रज्ञा का तार्किक व्यक्ति स्वीकार कर ले तथा सबूत को निश्चिन्तः के बिन्दु तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, परन्तु उसकी अधिसंभावना होना आवश्यक है। यदि सन्देह के लाभ के सिद्धान्त को बहुत अधिक खींचा जाता है तो ऐसी दशा में इसका परिणाम न्याय की हत्या होगा।

38—सूचा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2003) 7 एस0सी0सी0 643 के मामले में यह अवधारित किया है कि युक्तियुक्त सन्देह कोई काल्पनिक तुच्छ या मात्र सम्भावनाओं के आधार पर उत्पन्न सन्देह न होकर सामान्य प्रज्ञा व तार्किता पर आधारित समुचित सन्देह होना चाहिए। इस मामले के साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण सफल रहा है कि अभियुक्त अमित गौतम के द्वारा वादी मुकदमा सुरेश कुमार की पुत्री छाया को बहला फुसला कर उसके माता पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण करके उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह या अयुक्त सम्भोग करने के आशय से भगा ले जाने एवं मन्दिर में शादी करने का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त अमित गौतम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363,

366 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अवधार्य बिन्दु सं0 5 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

39—अभियुक्त **अमित गौतम** जमानत पर है, उसे अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त के जमानतनामें निरस्त किये जातें हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने के लिये पत्रावली लंच के बाद पेश हो।

(रोहित सिंह)
दिनांक 08—07—2026 विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।
आई0डी0 नं0: यू0पी0 1589

<u>दण्ड के बिन्दु पर—</u>

40—दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच के बाद पेश हुई। दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

41—अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अमित गौतम के विरूद्ध आरोप साबित हुआ है। अतः अभियुक्त को विधि द्वारा प्राविधानित अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

42—अभियुक्त **अमित गौतम** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

43—अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य विदित है कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास अथवा किसी अन्य मामले में दोषसिद्धि होने का कोई कथन नहीं किया गया है।

44—प्रश्नगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायालय के मत में अभियुक्त **अमित गौतम** को आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध करते हुये निम्न दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **अमित गौतम** को सत्र परीक्षण सं0: 508/2024 मुकदमा अपराध सं0: 297/2023 आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366 भा0दं0सं0 थाना बिजनौर, जिला लखनऊ में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त **अमित गौतम** को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 3 (तीन वर्ष) वर्ष के साधारण कारावास तथा मु0 10,000 (दस हजार) रूपये अर्थदण्ड के दण्ड

से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के भुगतान के व्यतिक्रम में दो (माह माह) माह के अतिरिक्त कारावास।

धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत 5 (पांच वर्ष) वर्ष के सश्रम कारावास तथा मु0 20,000 (बीस हजार रूपये) रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के भुगतान के व्यतिक्रम में 3 (माह माह) माह के अतिरिक्त कारावास।

अभियुक्त की सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी हुई अवधि को दण्ड की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क नियमानुसार प्रदान की जाये। सजायाबी वारण्ट बनाकर अभियुक्त अमित गौतम को दण्ड भोगने हेतु जेल भेजा जाये।

(रोहित सिंह)
दिनांक 08–07–2026 विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।
आई0डी0 नं0: यू0पी0 1589

निर्णय एवं आदेश आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

(रोहित सिंह)
दिनांक 08–07–2026 विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
सी0बी0आई0, लखनऊ।
आई0डी0 नं0: यू0पी0 1589

Digitally signed by Rohit Singh
Date: 2026.07.09 14:12:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court